

सं.ए-12025/05/2012-प्रशासन-1

भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 06 फरवरी, 2012

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठन

विषय: योजना आयोग में प्रोन्ति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) पीबी: 4 रूपये 37400-67000 + ग्रेड पे रूपये 8700/- पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) के पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्ति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

2. नियमित आधार पर सदृश पद धारित; अथवा 12000-375-16500 रु0 के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत समतुल्य पद धारित अधिकारी या विभागीय उपसलाहकार जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों ::

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान / अर्थशास्त्र / वाणिज्य /गणित / सांख्यिकी / व्यवसाय प्रशासन / संक्रिया अनुसन्धान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) अनुसन्धान/ डिजाइन / विकास का या परियोजनाओं / कार्यक्रमों को बनाने और उनके मूल्यांकन / अंकन का या परियोजनाओं के चयन के संबंध में सलाह देने का 12 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

- (i) सुसंगत कला / विज्ञान विषय में डाक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।
- (ii) ऐसी परियोजनाओं के, जिसमें वृहद निवेश अंद्रग्रस्त हैं, पुनर्विलोकन / अंकन / चयन का अनुभव ।

यदि पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्ति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जो निर्धारित अवधि के लिए पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगा।

3. रिक्ति के ब्यौरे लिंक तथा आवेदन प्रपत्र “Appointment/Jobs” के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट <http://www.planningcommission.gov.in> पर उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार हमारे वेबसाइट से सर्कुलर तथा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

4. मंत्रालयों केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विभागों से अनुरोध है कि वे इन रिक्तियों को अपने नियंत्रण के अधीन सभी अधिकारियों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपकरणों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है :-

- (i) संवर्ग अनुमति / सुरूप्य अनापत्ति ;
- (ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;
- (iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) में।
- (iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है, तथा
- (v) विगत 10 वर्षों के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि क्रोई हो / दंड नहीं प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

आवेदन प्रपत्र सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सतर्कता प्रमाण पत्र दंड नहीं प्रमाण पत्र हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तथा ये सश्री रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित होगी।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएं जिनके विरुद्ध सर्तकता का कोई मामला न हो। इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो। प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो। "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

(जी० राजीव)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23096531

सं. ए-12025/05/2012-प्रशासन-1

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) के पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए भरे जाने का प्रस्ताव है। पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

1. पद का विवरण :

(1) पद का नाम	:	संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)
(2) रिक्ति की संख्या	:	01 (एक)
(3) श्रेणी	:	समूह "क" राजपत्रित
(4) वेतनमान	:	पूर्व संशोधित 14300-18300 रु. (संशोधित पीबी:4 रूपये 37400-67000 + ग्रेड पे रूपये 8700/-)

2. पद से संबंधित कार्य :

संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)

- (क) सभी केन्द्रीय योजनाओं (चाहे वह प्रगतिशील हों अथवा अप्रगतिशील), खासकर उद्योग/खनन, उर्जा तथा आवागमन क्षेत्र से संबंधित हो, का मूल्यांकन करना।
- (ख) सुव्यवस्थित ढंग से निवेश योजना तकनीकों पर काम करना।
- (ग) पनियोजनाओं के अन्तर्मंत्रालय सभाओं में भाग लेना तथा विभाग के आंतरिक प्रशासन के सभी पहलूओं पर निरीक्षण करना।
- (घ) इन कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों को मदद करना तथा कनिष्ठ अधिकारियों को मार्ग दर्शन करना।

3. पात्रता :

प्रतिनियुक्ति के लिए (अल्पावधि अनुबंध सहित)

नियमित आधार पर सदृश पद धारित; अथवा 12000-375-16500 रु० के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत समतुल्य पद धारित अधिकारी और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिष्ट पद के लिए निर्धारित अर्हता/अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति हेतु

योजना आयोग के उपसलाहकार जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिष्ट पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

4. आयु सीमा :

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (अल्पावधि-अनुबंध सहित) अधिकतम आयु सीमा नीचे मद संख्या 5 के सामने यथा निर्दिष्ट पात्रता निर्धारण की निर्णायक तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि :

इस विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।

6. अहंताएं और अनुभव :

संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन)

अनिवार्य :

- (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान / अर्थशास्त्र / वाणिज्य /गणित / सांख्यिकी / व्यवसाय प्रशासन / संक्रिया अनुसंधान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।
- (iv) अनुसंधान/ डिजाइन / विकास का या परियोजनाओं / कार्यक्रमों को बनाने और उनके मूल्यांकन / अंकन का या परियोजनाओं के चयन के संबंध में सलाह देने का 12 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

- (i) सुसंगत कला / विज्ञान विषय में डाक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।
- (ii) ऐसी परियोजनाओं के, जिसमें वृहद निवेश अंद्रग्रस्त हैं, पुनर्विलोकन / अंकन / चयन का अनुभव ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि है, साधारणतयः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति तथा अल्पावधि-अनुबंध सहित में आने वालों की निबंधन एवं शर्तें , भारत सरकार,, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009- स्था. (वेतन प्प), दिनांक 17:6:2010 में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी ।

इच्छुक और पात्र अधिकारी अपने आवेदन (2 प्रतियों) संलग्न प्रोफार्मा में उचित माध्यम द्वारा संलग्न प्रोफार्मा में , अवर सचिव (प्रशासा I), योजना आयोग योजना भवन , संसद मार्ग , नई दिल्ली -110001 को भेज सकते हैं । इस आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन तक होगी । आवेदन के साथ, पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट डोजियर/ प्रतिलिपियाँ जिसके प्रत्येक पृष्ठ भारत सरकार के अवर सचिव के अधिकारी द्वारा सत्यापित हों , सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, सतर्कता निवासी प्रमाणपत्र और पिछले 10 वर्षों के दोरान अधिकारी पर अधिरोपित मुख्य /लघु दंडों की सूची / आवेदक के संबंद्ध में बेबाकी प्रमाणपत्र (निर्धारित फार्मेट में), भी भेजा जाए ।

आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण हो। प्रपत्र में कोइ भी स्थान रिक्त न हो । "लागू नहीं " अथवा " शून्य " सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

उपरिलिखित दस्तावेजों सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले भेजे गए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्ति के ब्यौरे लिंक “Appointment/Jobs” के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट <http://www.planningcommission.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

[अभ्यर्थी जो प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करता है , के आवेदन के साथ पृथक रूप से संलग्न करने हेतु आवश्यक विभिन्न प्रमाण पत्रों का प्रारूप]

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

डा० / श्री / श्रीमति / सुश्री -----, -----

-----जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर संयुक्त सलाहकार (-----) के पद के लिए आवेदन किया है, यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है ।

(उपसचिव या ऊपर के पद के अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित)
नाम एवं कार्यालय मोहर ;
दिनांक;.....

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा० / श्री / श्रीमति / सुश्री -----, -----

जिन्होंने योजना आयोग में
प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर संयुक्त सलाहकार (-----)
के पद के लिए आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्यवाई या
आपराधिक कार्यवाई न तो चल रही है न विचारित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;.....

कोई दण्ड नहीं प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा० / श्री / श्रीमति / सुश्री -----, -----

जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण
पर संयुक्त सलाहकार (-----) के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले दस वर्षों के दौरान
कोई लघु / मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;.....
